भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3128

उत्तर देने की तारीखः 22.0**3**.201**8**

स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षा का अधिकार का कार्यान्वयन

3128. श्रीमती रजनी पाटिलः

श्री पि॰ भट्टाचार्यः

श्री दर्शन सिंह यादवः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) विगत दो वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अधीन किए गए खर्च का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या सरकार का एसएसए के तहत वित्तीय शक्तियों के साथ शिक्षा का अधिकार का कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(घ) क्या विश्व बैंक जैसी विदेशी एजेंसियों ने, शिक्षा का अधिकार के कार्यान्वयन के लिए होने वाले व्यय में कोई योगदान दिया है; और**

**(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

(क): सर्व शिक्षा अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना, नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009के उद्देश्‍यों की पूर्ति हेतु, निर्दिष्‍ट योजना है, जो देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता प्रदान करती है। 2015-16 और 2016-17 के दौरान एसएसए के तहत केंद्रीय शेयर और व्‍यय के जारी की धनराशि का राज्‍य-वार ब्‍यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 9 में निर्धारित किया गया है कि यह स्‍थानीय प्राधिकरण (नगर निगम अथवा पंचायत) का कर्तव्‍य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्‍येक बालक को नि:शुल्‍क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, पड़ोस में स्‍कूलों की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करें, अपने क्षेत्रधिकार में रहने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बालकों का रिकॉर्ड रखें, दाखिला सुनिश्‍चित करें और उसे मॉनीटर करें, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बालकों की उपस्‍थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति करें। स्‍कूल भवन, शिक्षण स्‍टाफ और अधिगम सामग्री सहित अवसरंचना प्रदान करें, उच्‍च गुणवत्‍तापरक शिक्षा सुनिश्‍चित करें, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्‍कूलों के कार्यकरण को मॉनीटर करें और अकादमिक कैलेंडर नियत करें। इसके अतिरिक्‍त, स्‍थानीय प्राधिकरण को आरटीई अधिनियम (धारा 32) के तहत बालकों के अधिकार से संबंधित शिकायतों पर विचार और उनका निवारण भी करना होगा।

आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्‍वयन में राज्‍यों की सहायता करने के लिए राज्‍यो/संघ राज्‍य क्षेत्रों को एसएसए के अधीन केंद्रीय निधियां रिलीज की जाती हैं। यह राज्‍यों की जिम्‍मेदारी है कि वे स्‍थानीय निकायों के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र हेतु निधियों के अंतरण की मात्रा नियत करें।

(घ) और (ड.): जी, हां। भारत सरकार ने 29 मई, 2014 को 1006.2 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के लिए विश्‍व बैंक के अंतर्राष्‍ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के साथ वित्‍तीय समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। यह आईडीए 27 अगस्‍त, 2014 से 28 फरवरी, 2018 तक प्रभावी था और एसएसए के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के केंद्रीय हिस्‍से का भाग बना।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षा का अधिकार का कार्यान्वयन के संबंध में माननीया संसद सदस्‍या श्रीमती रजनी पाटिल, श्री पि॰ भट्टाचार्य और श्री दर्शन सिंह यादव द्वारा दिनांक 22.03.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 3128 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध

**सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान जारी राज्‍य-वार केंद्रीय हिस्‍सा और व्‍यय**

 ***(रूपए लाख में)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं.. | राज्‍य का नाम | **2015-16** | **2016-17** |
| जारी राशि | व्‍यय | जारी राशि | व्‍यय |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 66810.81  | 161051.54  | 63302.18  | 122115.26 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 18179.44  | 29271.33  | 19956.64  | 30445.19 |
| 3 | असम | 100464.64  | 116527.23  | 87652.30  | 106131.38 |
| 4 | बिहार | 251557.33  | 576225.94  | 270688.44  | 638367.43 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 62219.70  | 147751.88  | 59262.77  | 170229.54 |
| 6 | गोवा | 813.58  | 1585.81  | 869.11  | 1791.08 |
| 7 | गुजरात | 61563.82  | 182493.43  | 77740.50  | 118412.76 |
| 8 | हरियाणा | 34501.21  | 52916.29  | 32000.88  | 68265.36 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 12139.13  | 32526.67  | 12825.46  | 30704.71 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 129980.55  | 182893.46  | 107250.05  | 125783.94 |
| 11 | झारखंड | 55863.31  | 135591.04  | 50945.73  | 131992.15 |
| 12 | कर्नाटक | 41759.33  | 119636.52  | 54495.50  | 128686.02 |
| 13 | केरल | 12858.86  | 25832.72  | 11316.74  | 32147.72 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 160197.85  | 212603.60  | 154455.09  | 266913.52 |
| 15 | महाराष्ट्र | 41225.28  | 84734.46  | 60369.65  | 192206.91 |
| 16 | मणिपुर | 18355.46  | 15031.94  | 4405.31  | 14384.23 |
| 17 | मेघालय | 16626.96  | 21003.75  | 20067.00  | 23522.18 |
| 18 | मिजोरम | 9437.51  | 14382.25  | 10934.31  | 12664.43 |
| 19 | नगालैंड | 8739.53  | 15943.80  | 10725.34  | 17000.91 |
| 20 | ओडिशा | 82081.65  | 134883.34  | 70423.00  | 156377.33 |
| 21 | पंजाब | 30003.82  | 65592.85  | 30002.69  | 60009.64 |
| 22 | राजस्थान | 193462.09  | 425030.13  | 182578.48  | 453491.19 |
| 23 | सिक्किम | 4054.36  | 5163.87  | 3479.24  | 5015.36 |
| 24 | तमिलनाडु | 82111.73  | 141320.18  | 82111.30  | 138620.06 |
| 25 | तेलंगाना | 21776.01  | 68807.25  | 41776.09  | 124582.92 |
| 26 | त्रिपुरा | 16956.97  | 19667.41  | 19190.95  | 19965.83 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 505434.30  | 1205725.47  | 505433.99  | 1458836.03 |
| 28 | उत्तराखंड | 22588.40  | 38131.67  | 25268.98  | 42238.11 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 84679.41  | 170734.26  | 82185.32  | 173945.6 |
| 30 | अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह | 359.46  | 696.75  | 479.14  | 831.9 |
| 31 | चंडीगढ़ | 3521.81  | 5767.69  | 3333.55  | 5673.19 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली | 594.91  | 1694.87  | 1068.38  | 1974.23 |
| 33 | दमन और दीव | 78.38  | 374.01  | 300.00  | 230.5 |
| 34 | दिल्ली | 7293.80  | 10328.59  | 8306.19  | 11439.95 |
| 35 | लक्षद्वीप | 139.87  | 235.30  | 239.87  | 250.99 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 583.14  | 561.18  | 304.68  | 577.38 |
|  | **कुल** | **2159014.41** | **4422718.48**  | **2165744.85** | **4885824.93** |

**टिप्‍पणी:** ऊपर दर्शाया गया व्‍यय जारी केंद्रीय राशि से प्राप्‍तियों, जारी राज्‍य शेयर, वित्‍त आयोग अवार्ड और विविध आय, यदि कोई हो, तुलना में हैं।

\*\*\*\*\*